फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री अमरा बनाम विपक्षी : श्री गणेशलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 34/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 22.07.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 उपस्थित। विपक्षी संख्या 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 अपुपस्थित। आवाजे दिलवाई। अतः विपक्षी संख्या 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 4, 11 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही। अतः कोई कार्यवाही नहीं चाहने से विपक्षी संख्या 4, 11 के विरूद्ध कार्यवाही को ड्रोप किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी का पेश किया गया। शामिल फाईल रहें। नकल दिलाई गई। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी का स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा संशोधित अनवान पेश किया गया। शामिल फाईल रहें। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार होकर स्वीमा, अधिकारी एवं आधिपत्यधारी हैं। उक्त भूमि में विपक्षीगणों का कोई हक अधिकार नहीं है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा [illegible] में बताया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 13 के पास विपक्षी संख्या 1, 2 की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी न. 12 स्थित है। प्रार्थी की आराजी न. 13 से विपक्षी संख्या 1, 2 का कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपने काउन्टर प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी न. 13 के पास

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:49:42 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1, 2 की खातेदारी आराजी न. 12 स्थित है जिसमें वि 1, 2 प्रत्येक 1/4 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा खातेदार मोडा का है। मोडा पिता चतरा की मृत्यु हो चुकी है। विपक्षी संख्या 1, 2 विवाद होने से प्रार्थी की आराजी न. 13 के साथ विपक्षी की आराजी पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थ किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। की प्रार्थी की प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 10, 13 में प्रार्थी खातेदार हैं तथ न. 12 में विपक्षी संख्या 1, 2 खातेदार है। खातेदार को अपनी पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेंगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी कि उचित प्रतित होता हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र व काउन्टर प्रा स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व विपक्षी का काउन्टर प्रार्थ अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है वि ढीमडा पटवार हल्का पाणुन्द तहसील कानोड जिला उदयपुर की 2078–81 की आराजी न. 10 रकबा 0.0900 है. भूमि, आराजी न. 13 र 2600 है. भूमि व आराजी न. 12 रकबा 0.1200 है. भूमि की चारो दिशाअ की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थ कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थ भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अत उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरग दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानो लिखा जाकर पत्रावली ... से कम हो। फीस का राशि का भुगतान प्रार्थी व विपक्षी ...।

निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:49:42 IST
Reason: SelfAttested